न्यायालय:श्रीमान् राजस्व मण्डलाधिकारी,ग्वालियर,कैम्प सागर(म0प्र0)

कृष्ण कुमार आयु करीब 53 सालबल्द श्री रामदयाल प्राण्डे
निवासी ग्राम हथकुरी, तह0पबई,
जिला पन्ना (म0प्र0) ——पुनरीक्षणकर्त्ता

—: विरूद्ध :—

काशीबाई आयु करीब 65 साल पिता रामसेवक ब्राह्मण,
पति— श्री किशोरीलाल चौरहा
निवासी—ग्राम हथकुरी, तहसील पबई,
जिला पन्ना (म0प्र0) ——प्रतिअपीलार्थी / प्रतिपुनरीक्षणकर्त्ता

पुन0प्र0क0— /2017 प्रस्तुति, दि0 /07/2017

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा—50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता,1959

अधिनस्थ न्यायालय—श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी,पबई जिला पन्ना म0प्र0 के अपील प्रकरण कमांक—44 / 1अ—6 / 2014—2015 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 से दुखित व परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्त्ता मान्नीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन निम्न विधिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है :—

—: पुनरीक्षण प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1. यहकि, पुनरीक्षणकर्त्ता ग्राम मौजा हथकुरी, तह0पबई रा0नि0मं0पबई जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नंबर—1465,1569,1570 कुल रकवा—2.20हे0 लगान 14.38 रूपये भूमि के संबध में मान्नीय तहसीलदार महोदय, पवई द्वारा नामांतरण पंजी क0—31 आदेश दिनांक 7.12.2013 कर बंटवारा हुआ था। जिसके संबंध में प्रतिपुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, पवई, जिला पन्ना के समक्ष करीब दो साल के बिलंब से अपील अंतर्गत धारा—44 म0प्र0भू0रा0संहिता प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त अपील आवेदन के साथ ही प्रतिपुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा—5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के प्रतिपुनरीक्षणकर्त्ता का धारा—5 परिसीमा अधि0 का आवेदन स्वीकार कर लिया है । इस कारण मजबूरन श्रीमान् के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करना पड रहा है ।

2. यहकि, पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा राजस्व अभिलेख अद्यतन कराने हेतु नामांतरण कराया गया, पुनरीक्षणकर्त्ता के तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी प्रारंभ से प्रतिपुनरीक्षणकर्त्ता को रही है, उक्त आवेदन पर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत ही तहसीलदार महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/3263 कृष्णकुमार विरूद्ध काशीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पबई के प्रकरण क्रमांक 44/1अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-07-2017 को अपील याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य	